

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 201/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

टेरेसा संगमा

- विक्रेता

अनिता आईन्द

- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

30.05.20

आदेश


आवेदक टेरेसा संगमा पति स्व० जोर्ज आईन्द ग्राम-लापा सरना टोली, पोस्ट-लापा सरना टोली, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने अनिता आईन्द पति बनार्ड आईन्द ग्राम-लापा बन टोली, पोस्ट-लापा सरना टोली, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
लापा	03	01	312	0.54

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता द्वारा भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदक के हिस्से में 0.92 डी० भूमि बचता है। इस प्रकार पर्याप्त भूमि नहीं बचने के कारण आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आ जाते हैं। अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।